UPAN010010872014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अम्बेडकर नगर
पीठासीनः भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता (H.J.S)
JO Code: UP 1874
CNR:UPAN010010872014
सत्र परीक्षण संख्या :–287/2014 कम्प्यूटर नम्बर 287/2014

सरकार–––**अभियोजन**

बनाम

1. झारखण्डे आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र स्व0 रामराज
2. परशुराम उर्फ सिन्टू आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व0 भैरव प्रसाद
3. अरूण कुमार उर्फ पप्पू आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व0 धनराज
4. उपेन्द्र उर्फ अमर आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र स्व0 धनराज

समस्त निवासीगण ग्राम मुडियारी, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

–––––––––––––––––––––**अभियुक्तगण**

एन.सी.आर. संख्याः–84/2012
धारा–323/34,504,506 भा0दं0सं0
थाना–राजेसुल्तानपुर
जनपद–अम्बेडकर नगर

निर्णय

1. अभियुक्तगण झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर का विचारण उपर्युक्त सत्र परीक्षण वाद में थाना–राजेसुल्तानपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र एन.सी.आर. संख्या–84/2012, अन्तर्गत धारा–323,504 व 506 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अनिल पुत्र लालदेव यादव, निवासी ग्राम मुडियारी, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा थाना राजेसुल्तानपुर पर दिनांक 12.06.2012 को समय 11:30 बजे एन.सी.आर. संख्या 84/2012, जिसपर प्रदर्श क–2 अंकित है इस आशय की पंजीकृत करायी गई कि प्रार्थी दिनांक 11.06.2012 को रात्रि 08:00 बजे गांव के परशुराम पुत्र भैरव प्रसाद के घर उपस्थित झारखण्डे से कसहरी (छप्पर छाने की घास) का पैसा मांगने गया। पैसा मांगने पर झारखण्डे गाली गुप्ता देने लगे तथा मुझे मारने पीटने लगे। शोर गुल सुनकर जब कुछ लोग दौड़कर आये, तब बीच बचाव किये। तब मैं अपनी जान बचाकर अपने घर चला गया और अपनी सूचना लेकर थाने पर आया हूं।

3. वादी की उपर्युक्त सूचना आधार पर थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर पर

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.07 17:49:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 12.06.2012 को समय 11:30 बजे एन.सी.आर. संख्या 84/2012, धारा–323 व 504 भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त झारखण्डे के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

4. वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155(2) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया जिस पर सुनवायी उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2012 को आदेश पारित करके उक्त मामले में विवेचना करने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना की गई। दौरान विवेचना, विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, घटना–स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया तथा तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर के विरूद्ध एनसीआर 84/2012 के अन्तर्गत आरोप–पत्र धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 के तहत विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया। विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला यह अभिकथित करते हुये कि यह प्रकरण एस.सी.एस.टी. एक्ट के वाद संख्या–31/2014 से संबंधित है, तद्नुसार उक्त प्रकरण को दिनांक 13.11.2014 को सत्र सुपुर्द किया गया।

6. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 09.02. 2015 को तत्कालीन माननीय सत्र न्यायाधीश, अम्बेडकर नगर द्वारा धारा–323/34,504,506 भा0दं0सं0 का आरोप सृजित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 वादी अनिल यादव, पी.डब्लू. 2 डॉक्टर उदयचन्द्र, पी.डब्लू. 3 अवधेश कुमार, पी.डब्लू. 4 रामसूरत तथा पी.डब्लू.5 दीप नरायन आर्य को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किये गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष के साक्षीगण के सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित कराया गया है।

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र	अभियोजन साक्षीगण
1.	प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र 155(2) दं0प्र0सं0	पी.डब्लू. 1 वादी अनिल यादव
2.	प्रदर्श क–2	एनसीआर. 84/12 की प्रति	पी.डब्लू. 1 वादी अनिल यादव
3.	प्रदर्श क–3	मेडिकल रिपोर्ट	पी.डब्लू. 2 डॉ0 उदयचन्द्र
4.	प्रदर्श क–4	एन.सी.आर. की कायमी	पी.डब्लू. 5 दीप नरायन आर्य
5.	प्रदर्श–क–5	नक्शा नजरी	पी.डब्लू. 5 दीप नरायन आर्य
6.	प्रदर्श क–6	आरोप पत्र	पी.डब्लू. 5 दीप नरायन आर्य

<u>अभियोजन पक्ष मुख्यपरीक्षा साक्ष्य</u>

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 अनिल यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''घटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। मैं झारखण्डे के यहां कसेहरी का पैसा मांगने गया था। पैसा मांगने पर पैसा नहीं दिया और झगड़ा करना शुरू कर दिया, गाली गलौज देने लगा और डण्डा से मारने लगा। मैं चिल्लाया तो मेरी जेब से दो हजार रूपया था, उसे छीन लिया तथा घड़ी भी छीन लिया। मुझे परशुराम, अरूण, अजय, झारखण्डे व उपेन्द्र ने मारा पीटा। मेरे चिल्लाने पर राजाराम, राजेश, रामअवध, श्रवण आये और बीच बचाव किया। घटना के बाद मैं थाना राजेसुल्तानपुर गया और तहरीर देकर थाने में एफ.आइ. आर. लिखायी। एनसीआर में मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। अपने अधिवक्ता से मिलकर मैंने एन.सी.आर. की विवेचना हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। धारा 155(2) दं0प्र0सं0 प्रार्थना पत्र को गवाह को दिखाने पर उस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। थाना राजेसुल्तानपुर की पुलिस ने मेरी चोटों का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। मेरे दाहिने हाथ का एक्स–रे जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7अ/4 एन.सी.आर. 84/2012, थाना राजेसुल्तानपुर में अंकित था जो मेरे द्वारा तहरीर देकर अंकित कराया गया था। आज मेरे समक्ष एनसीआर की प्रमाणित प्रति है जिसपर मेरा हस्ताक्षर बना है जिसे मैं तस्दीक करता हूं जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया।''

10. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.2 डॉक्टर उदयचन्द्र यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 12.06.2012 को सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मैं चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनाँक को समय 03.15 पी.एम. पर मजरूब अनिल यादव पुत्र लालदेव यादव, निवासी ग्राम–मुडियारी थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकर नगर को थाना राजेसुल्तानपुर से होमगार्ड राम नरायन यादव द्वारा सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। मजरूब के दाहिने गाल पर काला तिल का निशान मौजूद था। मजरूब को निम्न चोटें आयी थी।

चोट नम्बर–1 मजरूब को फटा हुआ घाव था। घाव की साइज 3X0.5 सेन्टीमीटर थी, जो हड्डी की गहराई तक थी, जो दाहिने सिर पर कान से 07 सेन्टीमीटर ऊपर था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी। चोट की प्रकृति सामान्य व ताजी थी।

चोट नम्बर–2 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 7X3 सेन्टीमीटर थी, जिसका रंग लाल था, जो दाहिने कन्धे पर थी, चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी।

चोट नम्बर–3 मजरूब को निलगू निशान था, जिसकी साइज 7X7 सेन्टीमीटर थी, जो लाल रंग की थी, जो दाहिने हाथ के पंजे पर ऊपर की तरफ था। चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी।

चोट ताजी थी। चोट की प्रकृति जानने के लिए रेफर कर दिया गया था।

चोट नम्बर–4 मजरूब को खरोंच का निशान था, जिसकी साइज 2X1 सेन्टीमीटर थी, जो बांये पैर में थी जो टखने की जोड़ से 07 सेन्टीमीटर ऊपर थी, चोट कुन्दाले द्वारा पहुंचायी गयी थी। चोट सामान्य प्रकृति की व ताजी थी। मजरूब का चोट नम्बर–03 दाहिने हाथ के पंजे को एक्सरे हेतु जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–8 अ/2 मेडिकल रिपोर्ट है, जो मेरे समक्ष है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।''

11. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 3 अवधेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 11.06.2012 को मैं साबितपुर बाजार शाम को गया था। बाजार से वापस आ रहा था और जब ग्राम मुडियारी पहुंचा, उस समय रात के लगभग 8:00 बजे थे। हल्ला गुहार सुनकर मैं परशुराम के घर की तरफ गया तो देखा कि अनिल यादव को झारखण्डे, परशुराम, अरूण, उपेन्द्र लात घूसा से मार रहे थे। उस समय राजाराम व रामसूरत और गांव के बहुत से लोग आ गये थे जिन्होंने घटना को देखा व बीच बचाव किया। इसके बाद झारखण्डे आदि जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। मैंने अनिल से पूछा कि तुम्हें ये लोग क्यो मार रहे थे तो अनिल ने मुझे बताया कि झारखण्डे के यहां मेरा कसहरी (छप्पर छाने वाले खर) का पैसा बकाया था, जिसे मांगने के लिये मैं आया था, जिससे नाराज होकर झारखण्डे आदि ने मुझे मारा। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। घटना के तीन महीने बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

12. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 4 रामसूरत ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''घटना हुये आज से लगभग 13 वर्ष हो गये हैं। रात का लगभग 8:00 बज रहा होगा। मैं अपने खेत की तरफ से शौच करके घर वापस आ रहा था। हल्ला गुहार सुनकर परशुराम के घर की तरफ गया तो देखा कि मेरे गांव के अनिल यादव को झारखण्डे, अजय, उपेन्द्र, तथा अरूण मिलकर लात घूसा से मार रहे थे। उस समय गांव के राजाराम तथा और बहुत से लोग आ गये तथा भरतपुर के अवधेश भी आ गये थे। हम लोगों ने घटना को देखा व बीच बचाव किया था। झारखण्डे आदि मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इसके बाद अनिल भी अपने घर चले गये। इसके बाद मैं अपने घर पर आ गया और अनिल अपने घर चले गये।''

13. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 5 दीप नरायण आर्य ने अपनी मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं दिनांक 12.06.2012 को थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर में हेड मुहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस समय उपनिरीक्षक मंशाराम राव मेरे साथ थाने पर कार्यरत थे। मैं उपनिरीक्षक मंशाराम रावत के लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। उपरोक्त मुकदमे की नक्शा नजरी व आरोप पत्र उपनिरीक्षक मंशाराम रावत के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूं। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र पर प्रदर्श क–6 डाला गया। न्यायालय की अनुमति से मैंने इस मुकदमें के विवेचक उपनिरीक्षक मंशाराम रावत का द्वितीय साक्ष्य अंकित किया।''

अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्ष

14. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया जिसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है तथा तथ्य के साक्षीगण द्वारा द्वारा गलत साक्ष्य देना व अन्य साक्षीगण द्वारा औपचारिक साक्ष्य देना कहा गया है। अभियुक्तगण ने विशेष कथन में कहा है कि उनके खिलाफ वादी मुकदमा द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया है।

15. बचाव पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य न देना कहा गया और न ही अपने बचाव में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

16. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सविस्तार सुने गए। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अभियोग कथानक का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोग कथानक पूर्णतः साबित है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एक राय होकर साशय मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई तथा वादी मुकदमा को गाली–गलौज देकर अपमानित किया गया है तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन पक्ष अपने साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किये गए आरोप साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गई।

18. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्तगण निर्दोष हैं और अभियोजन, अभियोग कथानक को संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। अभियोग मिथ्या है। उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोग कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। उनके साक्ष्य में काफी विरोधाभाष है। वादी मुकदमा व उसके साथीगण द्वारा अभियुक्त झारखण्डे व अन्य को मारा पीटा गया था जिसके संबंध में अभियुक्त परशुराम उर्फ सिन्टू द्वारा इस मुकदमें के वादी मुकदमा अनिल यादव व अन्य के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिससे बचने हेतु यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं, दोषमुक्त किया जाये।

19. मैंने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

20. अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 5 गवाह परीक्षित कराये हैं।

21. अभियोजन कथानक को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष के गवाहों पर होता है। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन अपने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को

संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया सफल रहा है, अथवा नहीं।

22. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 अनिल यादव परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि ''घटना दिनांक 11.06.2012 की है। रात 08:00 बजे का समय था। मैं झारखण्डे के यहां कसेहरी का पैसा मांगने गया था। पैसा मांगने पर पैसा नहीं दिया और झगड़ा करना शुरू कर दिया, गाली गलौज देने लगा और डण्डा से मारने लगा। मैं चिल्लाया तो मेरी जेब से दो हजार रूपया था, उसे छीन लिया तथा घड़ी भी छीन लिया। मुझे परशुराम, अरूण, अजय, झारखण्डे व उपेन्द्र ने मारा पीटा। मेरे चिल्लाने पर राजाराम, राजेश, रामअवध, श्रवण आये और बीच बचाव किया। घटना के बाद मैं थाना राजेसुल्तानपुर गया और तहरीर देकर थाने में एफ.आइ. आर. लिखवायी। एनसीआर में मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई। मैंने अपने अधिवक्ता से मिलकर एन.सी.आर. की विवेचना हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। धारा 155(2) दं0प्र0सं0 प्रार्थना पत्र को गवाह को दिखाने पर उस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। थाना राजेसुल्तानपुर की पुलिस ने मेरी चोटों का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल जहांगीरगंज में कराया था। मेरे दाहिने हाथ का एक्स–रे जिला अस्पताल अम्बेडकर नगर में हुआ था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 7अ/4 एन.सी.आर. 84/2012 थाना राजेसुल्तानपुर में अंकित था जो मेरे द्वारा तहरीर देकर अंकित कराया गया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा नाम अनिल यादव है। मेरे पिता का नाम लालदेव है। मेरा ग्राम मुडियारी है। मैं लड़ाई झगड़े के मामले में गवाही देने आया हूं। जिनसे मेरी लड़ाई झगड़ा हुई वे मेरे गांव के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 11.06.2012 की है। घटना का समय शाम 8 बजे का था। परशुराम के यहां शादी का कार्यक्रम था। हम लोगों का कोई आमंत्रण नहीं था। घटना स्थल हमारे घर से डेढ़ सौ मीटर दूर था। अभियुक्त का घर घटना स्थल से 600–700 मीटर दूरी पर था। मेरी मुलाकात झारखण्डे से घटना स्थल पर हुई थी। मण्डाई छाने वाली खर (कास) का पैसा बाकी था। मेरे और झारखण्डे के बीच गाली गलौज हुआ। मुझे पैसा नहीं दिया। मैं भागकर रामचरन के खेत से अपने घर की तरफ भागा। मैं वहां से भागकर अपने घर नहीं आया। मारपीट में केवल मुझे चोट लगी थी। मैं थाने गया और प्रार्थना पत्र दिया। थाने द्वारा मेरी डॉक्टरी करायी गई। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मेरा और मुल्जिमान के बीच इस झगड़े के अलावा और कोई मुकदमा नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध एन.सी.आर. नम्बर 84/2012 धारा 323 व 504 भा0दं0सं0 में दिनांक 12.06.2012 को थाना राजेसुल्तानपुर में पंजीकृत हुआ, जो एन.सी.आर. थाने में लिखा गया उसकी विवेचना के आदेश हेतु मैं न्यायालय आया था और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में भी घटना के दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख करते हुये अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना बताया है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उद्घाटित नहीं है

जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो।

23. अभियोजन तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 3 अवधेश कुमार परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक समर्थन किया गया है तथा अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि ''दिनांक 11.06.2012 को मैं साबिकपुर बाजार शाम को गया था। बाजार से वापस आ रहा था, जब ग्राम मुडियारी पहुंचा, उस समय रात के लगभग 8:00 बजे थे। हल्ला गुहार सुनकर मैं परशुराम के घर की तरफ गया तो देखा कि अनिल यादव को झारखण्डे, परशुराम, अरूण, उपेन्द्र लात घूसा से मार रहे थे। उस समय राजाराम व रामसूरत और गांव के बहुत से लोग आ गये थे, जिन्होंने घटना को देखा व बीच बचाव किया। इसके बाद झारखण्डे आदि जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। मैंने अनिल से पूछा कि तुम्हें ये लोग क्यो मार रहे थे तो अनिल ने मुझे बताया कि झारखण्डे के यहां मेरा कसहरी (छप्पर छाने वाले खर) का पैसा बकाया था, जिसे मांगने के लिये मैं आया था, जिससे नाराज होकर झारखण्डे आदि ने मुझे मारा। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। घटना के तीन महीने बाद दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा नाम अवधेश है, मेरा ग्राम भरतपुर है। भरतपुर से मुडियारी की दूरी 01 किलोमीटर है। घटना के दिन मैं साबिकपुर बाजार गया था।....मेरे घर से बाजार 02 किलोमीटर है। मैं साइकिल से गया था।...मैं साबिकपुर से पौने आठ बजे अपने घर भरतपुर टडवा के लिये निकला। भरतपुर टडवा को जाते समय रास्ते में मुडियारी गांव पड़ता है। मैं आठ बजे मुडियारी पहुंचा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां हल्ला हो रहा था, बहुत लोग वहां मौजूद थे। ...उस समय अंधेरा था, मैंने मारपीट को 10–15 मिनट तक देखा। उसके बाद मैं छुड़ाने गया। कुछ लोग घायल अवस्था में गिरे थे, जिसमें अनिल कुमार भी घायल अवस्था में थे। जब मारपीट खत्म हो गई तब मैं घर चला गया। सब लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। अनिल अकेला था। झारखण्डे, परशुराम, अरूण कुमार उपेन्द्र भी गालियां दे रहे थे व लात घूसा से मार रहे थे। दूसरे लोग भी गालियां दे रहे थे।....अनिल को आयी चोटों से खून बह रहा था, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि कहां कहां चोट लगी, फिर मैं घर चला आया।

इस प्रकार यह साक्षी स्वतंत्र साक्षी है। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में अनिल यादव को अभियुक्तगण द्वारा गालियां दिया जाना मारने पीटने के तथ्य को अपने जिरह के साक्ष्य से भी साबित किया गया है। यह साक्षी घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित था। इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

24. अभियोजन तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 4 रामसूरत परीक्षित हुये हैं। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना हुये आज से लगभग 13 वर्ष हो गये हैं। रात का लगभग 8:00 बज रहा होगा। मैं अपने खेत की तरफ से शौच करके घर वापस आ रहा था। हल्ला गुहार सुनकर परशुराम के घर की तरफ गया तो देखा कि मेरे गांव के अनिल यादव को झारखण्डे, अजय, उपेन्द्र, तथा अरूण

मिलकर लात घूसा से मार रहे थे। उस समय गांव के राजाराम तथा और बहुत से लोग तथा भरतपुर के अवधेश भी आ गये थे। हम लोगों ने घटना देखा व बीच बचाव किया था। झारखण्डे आदि मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। इसके बाद अनिल भी अपने घर चले गये। इसके बाद मैं अपने घर पर आ गया व अनिल अपने घर चले गये।'' **प्रतिपरीक्षा के अन्तर्गत** इस साक्षी ने कथन किया है कि मेरा घर भी मुडियारी में है।....अनिल व झारखण्डे के बीच जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस समय लगभग 8:00 बज रहा था। उस समय वहां 4–5 लोग होंगे, फिर कहा 10–20 लोग रहे होंगे।....उस भीड़ में मैं भी छुड़ाने गया था। अनिल को जब लोग मार रहे थे तब मैंने देखा था। छुड़ाने वालों में अवधेश, राजाराम यादव और गांव के कई लोग थे, जहां मारपीट हो रही थी, मैं छुड़ाने के बाद अपने घर चला आया और अनिल बगैरह भी अपने घर चले गये।

इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी जिरह में इस तथ्य को साबित किया है कि यह झगड़ा छुड़ाने गया था और अभियुक्तगण अनिल यादव को मारपीट रहे थे, गालियां दे रहे थे। इस साक्षी द्वारा स्वतंत्र साक्षी पी0डब्लू0 3 अवधेश की उपस्थित भी घटना स्थल पर बतायी है जिससे अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 3 अवधेश के बयान एवं वादी पी0डब्लू0 1 के बयान का समर्थन भी इस साक्षी के परिसाक्ष्य से होता है। यह साक्षी अभियुक्तगण व वादी के गांव का है, जिससे इस संभावना को भी बल मिलता है कि यह साक्षी पक्षकारों से परिचित है। इस साक्षी की जिरह में ऐसा कोई सारवान तथ्य उजागर नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक दूषित हो। इस साक्षी द्वारा अपने परिसाक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल मिलता है।

25. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 2 डॉक्टर उदयचन्द्र यादव परीक्षित हुये है जिनके द्वारा दिनांक 12.06.2012 को सी.एच.सी. जहाँगीरगंज में समय 03.15 पी.एम. पर मजरूब अनिल यादव का मेडिकल परीक्षण किया गया था तथा मजरूब अनिल यादव की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया। इस साक्षी के साक्ष्य भी मजरूब अनिल यादव को आयी चोटें की पुष्टि होती है।

26. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 5 दीप नरायण आर्य परीक्षित हुये हैं जिनके द्वारा पुलिस प्रपत्रों एन.सी.आर. प्रदर्श क–2 व एन.सी.आर. 84/2012 की कायमी को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा विवेचक मंशाराम रावत द्वारा तैयार किये नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6 को उनके लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पुलिस प्रपत्रों की सत्यता को साबित किया गया है।

27. यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण का क्रास केस भी इसी न्यायालय में सरकार बनाम अनिल यादव आदि, मु0अ0सं0 118/2012 विचाराधीन है। दोनों प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोजन कहानी का अवलोकन करने से विदित है कि दोनों प्रकरण की घटना दिनांक 11.06.2012 की होना दर्शित है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना

रिपोर्ट थाना राजेसुल्तानपुर पर दिनांक 12.06.2012 को दर्ज करायी गई है, जिससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि कथित घटना कारित हुई है और दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पर मारपीट कर उपहति करने, गाली गलौज करने व भद्दी भद्दी गाली देने का आरोप लगाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक को अपने साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है तथा तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य की पुष्टि पुलिस के औपचारिक साक्ष्य से एवं चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है।

28. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगाये गये अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर** धारा–323/34,504,506 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

29. अभियुक्तगण **झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर** को धारा–323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

30. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः उनके स्व बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु अभिरक्षा में लिया जाये।

31. पत्रावली अभियुक्तगण को दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी. 1874

लंचबादः–

32. पत्रावली लंच बाद दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। दण्ड के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

33. अभियोजन पक्ष द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा साशय वादी मुकदमा को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, उसे भद्दी भद्दी गालियां व जान से

मारने की धमकी दी गयी। ऐसे में अभियुक्तगण को अधिक–से–अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

34. बचाव पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण मजदूर पेशा व्यक्ति हैं। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। वह मुकदमें की पैरवी करने में असमर्थ हैं। अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाए।

35. बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष को दण्ड के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

36. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की परिवीक्षा की मांग के विरूद्ध आपत्ति कर यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को साशय मार पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया गया, भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी है एवं अभियोजन पक्ष का यह भी कथन है कि न्यायालय में अभियुक्त अरूण कुमार के द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके विरूद्ध अन्य मुकदमें भी लंबित है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान न किया जाए और परिवीक्षा का विरोध किया गया तथा अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित करने की याचना की गयी।

37. मेरे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत समग्र साक्ष्य का अवलोकन किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को एक राय होकर साशय मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई तथा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई जिससे लोकशांति भंग होने का अंदेश हुआ तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

<u>दण्डादेश</u>

38. दोषसिद्ध अभियुक्तगण झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **एक–एक वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं रूपया 1000/–1,000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

39. अभियुक्तगण झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर को धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **एक–एक वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं 1000–1000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त

कारावास भोगा जायेगा।

40. अभियुक्तगण झारखण्डे, परशुराम उर्फ सिन्टू, अरूण कुमार उर्फ पप्पू व उपेन्द्र उर्फ अमर को धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध के आरोप में **दो–दो वर्ष** के साधारण कारावास के दण्ड से एवं रूपया 1000–1000/–(एक–एक हजार) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण द्वारा 10–10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगा जायेगा।

41. सभी दण्ड साथ–साथ प्रचलित होंगे तथा अभियुक्तगण द्वारा दौरान विचारण कारागार में बितायी गई अवधि, सजा में नियमानुसार समायोजित की जाएगी।

42. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए तथा अभियुक्तगण को तद्नुसार दण्ड भोगने हेतु अधिपत्र कारागार प्रेषित हो।

43. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–365 के प्राविधानों के तहत इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर को प्रेषित की जाए।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874

आज, निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–07.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ. कोड–यू.पी.1874